न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 60/ 2018

1 सुदेश कुमार पुत्र दुलीचंद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 16 लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजपाल पुत्र दुलीचंद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 16 लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

1 बुटाराम फौत

1/1 जयराम पुत्र बुटाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/2 सुल्तानराम फौत

1/2/1 कमलेश पत्नी सुल्तानराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/2/2 विजयपाल पुत्र सुल्तानराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/2/3 मोहित पुत्र सुल्तानराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/2 देवीलाल पुत्र बुटाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/3 लिछमा देवी पुत्री बुटाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

1/4 चन्द्रकला पुत्री बुटाराम पत्नी औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी चक नं. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

2 श्रवणराम फौत

2/1 सावित्री पत्नी श्रवणराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2/2 कृष्णलाल पुत्र श्रवणराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2/3 माया पुत्री श्रवणराम पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

2/4 विमला पुत्री श्रवणराम जाति कुम्हार पत्नी सतपाल निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

2/5 रानी पुत्री श्रवणराम जाति कुम्हार पत्नी औमप्रकाश निवासी 3 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

1 श्री मेजर सिह अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1, 1/2, 1/2/1, 1/2/2, व 2/2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 28.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्व अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण केनाम चक 5 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 62/56 में 0.427 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 5 एल एल जी खाता सख्या 62/56 के प.न. 25/158 मु.न. 45 कि.न. 23, 24 में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी है। प्रार्थीगण के उक्त कब्जा काश्त की आराजी में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिये चक 6 एल एल जी खाता संख्या 105/88 प.न. 24/159 मु.न. 42 कि. न. 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर चक 5 एल एल जी के खाता संख्या 33/31 के प.न. 25/158 मु.न. 45 कि.न. 22 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 बुटाराम के कब्जा काश्त में है उक्त किला नं. 22 दक्षिण दिशा में एक बिस्वा व इसी चक के खाता संख्या 58/71 के प.न. 25/158 मु.न. 45 कि.न. 21 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 श्रवणराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा कब्जा काश्त में है उक्त किला नं. 21 मे दक्षिण दिशा मे एक बिस्वा रासता की प्रार्थीगण को आवश्यकता है, उकत खाता संख्या 33/31 व 58/71 व चक 6 एल एल जी के खाता संख्या 105/99 की जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की उक्त आराजी में कृषि कार्य करने हेतू व आने जाने के लिये मु.न .45 के कि.न. 21 व 22 में से आना जाना पडता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिये प्रार्थीगण उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हक अधिकारी है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से तकाजा किया कि उक्त रासता को स्वीकृत करवाने में सहमति प्रदान कर देवे तो अप्रार्थीगण आज कल आज कल कर समय निकालते रहे और टाल मटौल करते रहे तो प्रार्थीगण ने दिनांक 12.04.2018 को चक 5 एल एल जी में पंचायत कर कहा कि उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन करवाने में सहमति दे देवे तो अप्रार्थीगण स्पष्ट इंकार हो गये, बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

अतः प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आर.टी.ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी चक 5 एल एल जी खाता संख्या 62/56 के प.न. 25/158 मु.न. 45 कि.न. 23 व 24 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी चक 5 एल एल जी के खाता संख्या 33/31 के प.न. 25/158 मु.न. 45 कि.न. 22 में दक्षिण दिशा में एक बिस्वा यानि 0.013 है. एव खाता संख्या 58/71 के प.न. 25/158 मु.न. 45 के कि.न. 21 मे दक्षिण दिशा में एक

28.2.2020
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

बिस्वा यानि 0.013 है. आराजी गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2, 1/2/1 व 1/2/2 व 2/2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से ईन्कारी करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने पूरे खाता का विवरण जानबूझकर नही दिया है चूंकि उक्त चूकि खाता संख्या 62/56 की 3.416 है. आराजी प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों के नाम से ही दर्ज कागजात माल है एवं इसी खाता मे प्रार्थीगण के साथ प्रार्थीगण के पिता के नाम भी आराजी दर्ज कागजात माल है एवं प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता व अन्य परिवार के सदस्य है उक्त खाता की आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है, प्रार्थीगण के हक हिस्सा एव नामदर्ज आराजी प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त खाता मे दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थीगण ने अपने किला विशेष आराजी को दर्शाया है जबकि संयुक्त खाता की भूमि मे प्रार्थीगण के पिता व उनके भाईयों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड है एव प्रार्थीगण एव उनके पिता उक्त खाता की आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है सांझा खाता की आराजी मे किसी व्यक्ति विशेष को किला विशेष आराजी का खातेदार नही माना जा सकता है संयुक्त खाता की आराजी सभी सहकाश्तकारान का प्रत्येक ईंच ईंच आराजी पर हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वादाधीन आराजी बूटाराम व श्रवणराम के नाम उनके कब्जा काश्त में होना अंकित किया है जबकि प्रार्थना दायरी के वक्त बूटाराम व श्रवणराम की मृत्यू हो चूकी थी एव विरासतन ईन्तकाल भी हम अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हो चूका है, प्रार्थीगण के हक हिस्सा एव संयुक्त खाता की आराजी के लिये प्रार्थीगण मु.न. 45 के कि.न. 1 ता 9, 12 ता 15 के में आराजी जो कि पतराम पुत्र नानकराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थीगण के पिता का भाई है , प्रार्थीगण के नाम दर्ज संयुक्त खाता की मु.न. 45 के कि.न. 16, 17, 18,23, 24, 25 व मु.न. 46 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.न. 53 के कि.न. 3, 4, 5 की आराजी में आने जाने के लिये मु.न. 45 कि.न. 5, 6, 15 में पतराम पुत्र नानकराम जो कि प्रार्थीगण के परिवार का सदस्य है से घरू तौर पर रास्ता ले रखा है एव मु.न. 46 के कि.न. 1 में प्रार्थीगण के आराजी के सरकारी रास्ता लगता है प्रार्थीगण मु.न. 45 के कि.न. 1 ता 5 में चल रहे सरकारी रास्ता से होकर मु.न. 45 के कि.न. 5 , 6, 15 के पूर्वी बट पर उतत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे घरू तौर पर छोड़े गये रास्ता से ही अपने हक हिस्सा की आराजी मे आते जात है जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी मे संयुक्त खाता मे ही प्रार्थीगण के पिता व उसके भाईयो के नाम से भी आराजी दर्ज कागजात है एव प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों ने अपने अपने हक हिस्सा की आराजी मे आने जाने के लिये रास्ता छोड़ रखा है प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त के मु.न. 45 के कि.न. 21व 22 से कभी भी आते जाते नही रहे है एव ना ही हम अप्रार्थीगण के हक हिससा की आराजी मे कोई रास्ता कभी चला है एव ना ही मौका पर कोई रास्ता चल रहा है। नजरी नक्शा संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत बयानी अस्वीकार है, प्रार्थीगण ने उक्त मद में जो जिस रास्ता

28-2-2020
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

से आना जाना दर्शाया है वहां कभी भी रास्ता नही रहा है एव ना ही मौका पर कोई रास्ता चल रहा है एव ना ही प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में कभी भी आये गये है. प्रार्थीगण मु.न. 45 व 46 के कि.न. 1 ता 5 में चल रहे सरकारी रास्ता से होकर मु.न. 45 के कि.न. 5, 6, 15 के पूर्वी बट पर उत्तर से दक्षिण होकर आते जाते जो कि मु.न. 45 के कि.न 5, 6,15 पतराम पुत्र नानकराम के नाम से दर्ज जो कि प्रार्थीगण के पिता का भाई है चूकि नानकराम व श्योकरण भाई थे, एव इसके अलावा प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग मु.न. 46 के कि.न. 1 में उत्तरी दिशा में चल रहे सरकारी रास्ता से अपने खाता की आराजी मु.न. 46 के कि.न .1, 10 ,11 , 20, 21 से भी आ जा सकते है एव प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ता की अत्यन्तिक आवश्कयता नही है प्रार्थीगण ने महज हम अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है. इससे पहले प्रार्थीगण ने खाला के सम्बध में भी कई बार शिकायते दर्ज की है जो कि प्रार्थीगण की शिकायतों को झूठा मानकर उन्हे निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थीगण रंजिशपूर्वक हम अप्रार्थीगण को क्षति कारित करने की नीयत से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है एव प्रार्थीगण ने जानबूझकर मृतक व्यक्यिों के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छहस्त अदालतहाजा मे नही आये है। प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ता की कोई आवश्यकता नही है, एव ना ही प्रार्थीगण कभी भी चाहे गये रास्ता से आये गये है, अगर हम अप्रार्थीगण की आराजी में से आते जाते है तो हम अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी और आराजी मे आने जाने से हम अप्रार्थीगण के खते मे कार्य करने वाले मजदूरों को परेशानी होगी। इसलिए प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण कभी भी उक्त रास्ता बावत हम अप्रार्थीगण से नही मिले और ना ही रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू कभी कहा प्रार्थीगण ने मृतक व्यक्यिों के खिलाफ झूठा वाद हेतूक प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण को कोई वाद हेतूक प्राप्त नही है इसलिए प्रार्थना पत्र प्राथीगण खारिज किये जाने योग्य है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आर. टी. ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार राजस्व सादुलशहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुयी . एव स्वंय मौका निरीक्षण किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये चाहे गये अनूतोष मु.न. 45 के कि.न. 23, 24 में आने जाने के लिये मु.न. 45 के कि.न. 21 , 22 में रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि मु.न. 46 के कि.न. 1, 10, 11, 20 प्रार्थीगण के पिता व बुआ के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

नाम से दर्ज है मु.न. 46 के कि.न. 1 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृतशुदा है एव मौका पर चल रहा है, खाता संख्या 62 के अनुसार मु.न. 45व 46 का खाता संयुक्त है एव संयुक्त खाता के लिये रास्ता उपलब्ध है, एव ना ही प्रार्थीगण ने संयुक्त खाता के रिकॉर्डड खातेदारान को पार्टी बनाया है एव ना ही किला नं. 23, 24 प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है एव प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों पिता व बुआ की आराजी के लिये मु.न. 46 के कि.न .1 में 0.013 है, रासता स्वीकृतशुदा है जो कि सभी काश्तकारान इसी किला में से आ जा रहे है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी संयुक्त खाता में प्रार्थीगण के पिता व परिवार के सदस्यों के नाम से दर्ज चली आ रही है एव मु.न. 46 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 45 के कि.न. 5, 6, 15, 25 के चिपते हुये है। ,मु.न. 45 व मु.न. 46 के कि.न. 1 ता 5 में सरकारी रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है एव मु.न. 46 के कि.न. 1 में भी सरकारी रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृतशुदा है। स्वयं मौका निरीक्षण करने एव तहसीलदार रिपोर्ट के अनूसार भी मु.न. 46 के कि.न. 1 में सरकारी रास्ता चल रहा है, एव अप्रार्थीगण के नाम दर्ज मु.न. 45 के कि.न. 22 में बाग लगा हुआ है प्रार्थीगण मु.न. 45 के कि.न. 21, 22 में से अपने खेत में आवागमन नही कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज रिकॉर्ड है इस संयुक्त खाते के लिये रास्ता उपलब्ध है एव प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जिस रास्ता से आना जाना अंकित किया है वह रास्ता नही चल रहा है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए आर. टी. ए. के प्रावधानों के अनूसार वैकल्पिक मार्ग का अभाव एव रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता दोनों ही शर्तो को पूरा नही करता है, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर * जिला श्रीगंगानगर (राज.)

28.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:23:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: